

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 06-10-15 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक विविध 2008-एक/11 विरुद्ध कलेक्टर, कटनी द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ-25/08-09 पक्षकार राजेन्द्र अगवाल विरुद्ध शासन में पारित आदेश दिनांक 06-10-08 के पुनरावलोकन की अनुमति बावत.

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, कटनी

आवेदक

विरुद्ध

मंजू अगवाल
निवासी ग्राम चाका तहसील व
जिला कटनी

— अनावेदक

6. 10. 2016

प्रकरण का अवलोकन किया। इस प्रकरण में कलेक्टर, कटनी ने अपने पत्र कमांक 12569/री0कल0/2012 दिनांक 16-11-11 द्वारा तत्कालीन कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ-25/08-09 में पारित आदेश दिनांक 06-10-08 के पुनरावलोकन की अनुमति चाही गई है।

2/ आवेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा दिनांक 6-10-08 को आदेश पारित करने के पूर्व प्रकरण में विधिवत जांच कराई गई है तथा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों पर विचार के उपरांत पुनः प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है और तदुपरांत उन्होंने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नंबर 362/2 में ग्राम वासियों द्वारा सार्वजनिक रूप से मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है जो सार्वजनिक उपयोग में है एवं शासकीय भूमि सर्वे नंबर 198 खनिज महत्व की नहीं है और सार्वजनिक निस्तार की भी नहीं है तथा भूमि के उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में अन्य भूमिस्वामियों की भूमि स्थित है। आदेश में कलेक्टर ने यह भी उल्लेख किया है कि भूमि तबादले में दिए जाने पर ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर कलेक्टर द्वारा अदला-बदली की अनुमति शर्तों के साथ आवेदक को दी है। आदेश के पालन में आवेदक द्वारा दिनांक 23-10-08 को आदेश की शर्तों के अनुसार भूमि की अदला-बदली किए जाने के फलस्वरूप अंतर की



शासन विरुद्ध मंजू अग्रवाल

स्थान तथा दिनांक	वर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>राशि रूपये 2,46,800/- जमा करादी गई है। कलेक्टर के प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा तत्कालीन कलेक्टर के जिस आदेश दिनांक 6-10-08 के पुनरावलोकन की अनुमति चाही गई है, उक्त आदेश उनके द्वारा अपने दिनांक 27-1-10 के आदेश द्वारा निरस्त किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवैधानिक होने से निरस्त कर दिया गया है। अतः उनके द्वारा की गई अवैधानिक त्रुटि को सुधारने की दृष्टि से अनुमति दिया जाना उचित नहीं है। किसी भी मामले का पुनरावलोकन किये जाने की परिस्थितियों का उल्लेख संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में किया गया है जिसके अनुसार किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता चलना जो तत्परता के पश्चात भी पूर्व में आदेश पारित करते समय ज्ञान में नहीं था, या कोई ऐसी त्रुटि या भूल जो अभिलेख से प्रकट हो या अन्य कोई उचित कारण। इस प्रकरण में उक्त आधारों में से एक भी आधार विद्यमान नहीं है और ना ही ऐसी कोई अनियमितता या अवैधानिक परिलक्षित होती है जिस कारण कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-10-08 का पुनरावलोकन किया जाये। इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2007(1) एम.पी.एल.जे. 263 अवलोकनीय है। कलेक्टर द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह कहना कि खसरा नं. 198 एवं 362 कृषि योग्य भूमि नहीं है, जिस कारण राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 3 की कंडिका 20 (1) के अंतर्गत अदला-बदली नहीं की जा सकती है, न्यायदृष्टांत 2014 (दो) एम.पी.जे.आर. शॉर्ट नोट 13 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार मान्य किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि इस न्यायदृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र - अध्याय IV भाग 3 खण्ड 20 - यह नहीं कहा जा सकता कि केवल कृषि योग्य शासकीय भूमि विनियम में प्रदान की जा सकती है।” अतः</p>	

शासन विरुद्ध मंजू अग्रवाल

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक विविध 2008-एक / 11

जिला - कटनी

स्थान तथा दिनांक	वर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात तथा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में पुनरावलोकन की अनुमति दिये जाने का कोई आधार नहीं है। परिणामतः कलेक्टर का अनुरोध अमान्य किया जाता है एवं यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p>उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सदस्य</p>	